उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
मुख्यालय, 2—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पीबीएक्स 0522—4151200
फैक्स 0522—2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग / एफपीओ / एफ—299 / 2023—24 / 577
दिनांक : 22 फरवरी, 2024

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उत्तर प्रदेश।

विषय : बैंक में लागू एफपीओ योजना से सम्बन्धित परिपत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक—13.02.2024 में पारित प्रस्ताव सं0—15 में लिये गये निर्णय के क्रम में एफपीओ को ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं:—

बैंक के व्यवसाय संवर्धन के दृष्टिगत वर्तमान में व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत कई योजनाओं में ऋण वितरित किया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं में बैंक की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं ऋण व्यवसाय के आयामों में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा नाबार्ड की सब्सिडियरी कम्पनी नैब संरक्षण की सदस्यता ग्रहण की गयी है, जिसके अन्तर्गत फारमर्स प्रोड्यूसर्स आर्गनाईजेशन को एक निश्चित सीमा तक कोलेट्रल फ्री ऋण स्वीकृत किया जा सकता है तथा उक्त ऋण की गारण्टी नैब संरक्षण द्वारा प्रदान की जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में नीति निर्मित कर बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक—30.10.2023 को प्रस्तुत की गयी तथा उक्त तिथि को बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव सं0—12 में उक्त नीति को स्वीकृत किया गया तथा बैंक के परिपत्र बैंकिगं / एफ—299 / 2023—24 / 399, दिनांक—05.12.2023 के माध्यम से उक्त नीति समस्त शाखाओं को प्रेषित की जा चुकी है।

1. **ऋण का उद्देश्य**

   बैंक के वित्तीय स्रोतों का लाभप्रद विनियोजन करने एवं फारमर प्रोड्यूसर्स आगनाईजेशन को कोलेट्रल फ्री ऋण नैबसंरक्षण क्रेडिट गारण्टी योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराना।

2. **एफपीओ को ऋण हेतु पात्रता :—**

   - फारमर्स प्रोड्यूसर्स सदस्यों की एक कम्पनी जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग—9 ए और कम्पनी अधिनियम 2013 के चैप्टर 21 ए एवं रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में पंजीकृत हो अथवा यह एक ऐसा ऑर्गनाईजेशन हो जो राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो।
   - एफपीओ जिसके कृषक सदस्यता कम से कम 300 होगी।
   - संचालित हो रहे एफपीओ यदि उसके द्वारा भारत सरकार की या किसी अन्य योजना में पहले से ही ऋण लिया हो और क्रेडिट सुविधा बन्द हो गयी हो या ली गयी सुविधा ली जाने वाले क्रेडिट सुविधा से भिन्न हो।
   - ऐसे एफपीओ को जो पहले से पंजीकृत हो, किन्तु उनके द्वारा कोई भी फण्ड की सुविधा किसी अन्य योजना में नहीं उपलब्ध करायी गयी है और एफपीओ द्वारा अभी

U.P. Cooperative Bank

तक अपना संचालन प्रारम्भ नही किया गया है वे भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।

- एफपीओ फाइनेन्सिंग के सम्बन्ध में नाबार्ड के एफपीओ गाईडेन्स नोट में उल्लिखित लेण्डेबिलिटि एसेसमेण्ट टूल के अन्तर्गत एफपीओ ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र होने के साथ–साथ बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ऋण हेतु पात्र होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एफपीओ को टर्म लोन, वर्किंग कैपीटल ऋण या कम्पोजिट केडिट सुविधा प्रदान करते समय निर्धारित सीमा तक कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी या तृतीय पक्ष की गारण्टी जिसमें बोर्ड के डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी के मेम्बर्स की व्यक्तिगत गारण्टी भी सम्मिलित है, नहीं ली जायेगी।
- ऋण से जो सम्पत्ति कियेट की जायेगी वह प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में होगी।

3. <u>योजना के अन्तर्गत पात्र ऋण सुविधायें</u>

- फण्ड बेस्ड ऋण सुविधायें ही स्वीकृत की जायेंगी, जिसे टर्म लोन या वर्किंग कैपीटल लोन या कम्पोजिट केडिट सुविधा के रूप में बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी अथवा थर्ड पार्टी गारण्टी के स्वीकृत किया जायेगा।
- नैब संरक्षण द्वारा गारण्टी कवर निश्चित सीमा की धनराशि हेतु ही प्रदान किया जायेगा।

4. <u>केडिट गारण्टी के तहत ऋण हेतु अपात्र एफपीओ</u>

- उक्त योजना में यदि कोई ऋण कोलेट्रल सिक्योरिटी लेकर या थर्ड पार्टी गारण्टी लेकर स्वीकृत किया जायेगा तो वह केडिट गारण्टी हेतु पात्र नहीं होगा।
- कोई भी ऋण सुविधा जिसके जोखिमों को किसी अतिरिक्त योजना जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या भारत सरकार द्वारा या जनरल इन्श्योरेन्स द्वारा गारण्टी अथवा इन्डेमिनिटी से आच्छादित किया गया हो।
- ऐसी ऋण सुविधा जो विधि के नियमों, भारत सरकार द्वारा पारित निर्देशों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों के प्रतिकूल हों, जो कि वर्तमान में प्रचलित हों।
- ऋणी को स्वीकृत कोई ऐसी ऋण सुविधा जिसके विरूद्ध पूर्व में केडिट गारण्टी इनवोक की गयी हो।
- ऐसी ऋण सुविधा जो ऋणी को अनुमन्य की गयी है तथा जिसने किसी अन्य केडिट फैसिलिटी योजना से लाभ लिया हो।
- कोई भी ऋण सुविधा जो भुगतान के लिए ओवर ड्यू है अथवा एनपीए है और जिसे बैंक द्वारा किसी दूसरे ऋणी से टेकओवर किया गया है या कोई ऐसा डिफाल्ट जिसे केडिट फैसिलिटी प्रदान की गयी है।
- कोई ऐसी फैसिलिटी जो भुगतान के लिए ओवर ड्यू है।
- कोई ऐसी केडिट फैसिलिटी जो भुगतान न होने के कारण ओवर ड्यू हो गयी हो और उसे रिशिड्यूल या रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया हो।

U.P. Cooperative Bank Banking Section

5. **ऋण की धनराशि**

- नाबार्ड के एक्सपोजर नार्म्स के अनुसार कोई भी टर्म लोन अथवा सीसी लोन अथवा कम्पोजिट लोन न्यूनतम रू0 3.00 लाख एवं अधिकतम रू0 60.00 लाख से अधिक नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई एफपीओ टर्म लोन एवं सीसी लोन दोनों लेता है तो कुल मिलाकर ऋण की धनराशि रू0 60.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

6. **ऋण की अवधि**

- टर्म ऋण 05 वर्षों हेतु स्वीकृत किया जायेगा।
- वर्किंग कैपीटल ऋण 12 माह हेतु स्वीकृत किया जायेगा तत्पश्चात् एफपीओ द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा का 75 प्रतिशत भुगतान/जमा किये जाने पर नियमानुसार शाखा द्वारा ऋण का नवीनीकरण किया जायेगा।
- ऋण का गारण्टी कवर गारण्टी की तिथि शुरू होने से लेकर ऋण हेतु निर्धारित अवधि तक होगा, जहां केवल वर्किंग कैपीटल सुविधा या टर्म लोन की सुविधा दी गयी है अथवा वर्किंग कैपीटल ऋण की सुविधा टर्म लोन के साथ दी गयी है, गारण्टी कवर की टर्मिनेशन डेट या ऋण की अवधि जो पहले होगी, के अनुसार होगी अथवा ऐसी अवधि के लिए होगी जिसे ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया गया है।

7. **क्रेडिट गारण्टी फीस**

- नैब संरक्षण की क्रेडिट गारण्टी से आच्छादित होने के लिए ट्रस्ट द्वारा ऐनुवल गारण्टी फीस प्रतिवर्ष चार्ज की जायेगी।
- ट्रस्ट द्वारा रू0 1.00 करोड़ तक की ऋण सुविधा हेतु 0.75 प्रतिशत की दर से गारण्टी फीस चार्ज की जायेगी एवं रू0 1.00 करोड़ से ऊपर की ऋण सुविधा हेतु 0.85 प्रतिशत की दर से या अधिकतम रू0 1.70 लाख गारण्टी फीस ली जायेगी क्योकिं नाबार्ड की एक्सपोजर लिमिट के अनुसार बैंक अधिकतम रू0 60.00 लाख तक की ऋण सीमा स्वीकृत करेगा। अतः गारण्टी फीस 0.75 प्रतिशत की दर से चार्ज की जायेगी।
- गारण्टी फीस एवं ऐनुवल गारण्टी फीस एफपीओ (ऋणी) से चार्ज की जायेगी तथा शाखाओं को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित एफपीओ से लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- प्रथम वर्ष हेतु गारण्टी फीस स्वीकृत धनराशि के आधार पर चार्ज होगी तथा अन्य वर्षों हेतु खाते की दिनांक–31 मार्च की आउट स्टैण्डिंग के आधार पर गारण्टी फीस चार्ज की जायेगी या जैसा कि नैब संरक्षण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (टर्म लोन हेतु)
- वर्किंग कैपीटल सीमा हेतु अधिकतम (Peak) वर्किंग कैपीटल लिमिट के आधार पर कैलकुलेट/चार्ज की जायेगी।
- ऐनुवल गारण्टी फीस नैव संरक्षण द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगी।
- किसी भी दशा में भुगतान की गयी गारण्टी फीस वापस नहीं होगी।

U.P. Cooperative Bank Banking Section

- प्रथम वर्ष ऐनुवल गारण्टी फीस स्वीकृत धनराशि पर चार्ज की जायेगी तथा दूसरे वर्ष से ऋण आउटस्टैण्डिंग धनराशि पर बची हुई धनराशि के लिए चार्ज की जायेगी (टर्म लोन हेतु) जिसे 31 मार्च की आउटस्टैण्डिंग के आधार पर शेष अवधि के लिए चार्ज किया जायेगा।
- वर्किंग कैपीटल ऋणी सीमा हेतु ऋणी द्वारा पिछले वर्ष जो अधिकतम वर्किंग कैपीटल लिमिट का उपभोग किया होगा, उसके आधार पर चार्ज की जायेगी। यदि लोन पूरी तरह से डिसबर्स नहीं हुआ या ऋण सीमा पूर्णतः उपभोग नहीं की गयी, ऐसी दशा में एनुवल गारण्टी फीस स्वीकृत धनराशि के आधार पर तब तक चार्ज की जायेगी जब तक कि ऋण को पूर्णतः डिस्बर्स न किया गया हो।
- उपरोक्त एनुवल गारण्टी फीस यदि नैब संरक्षण द्वारा परिवर्तित की जाती है तो उनके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चार्ज की जायेगी।
- ऐनुवल गारण्टी फीस नैब संरक्षण ट्रस्ट को बैंक/शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत पत्र की तिथि से 30 दिन के भीतर केडिट गारण्टी ट्रस्ट को प्रेषित किया जायेगा या ऐसी तिथि को जिसे नैब संरक्षण ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया गया हो जिसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य प्रबन्धक का होगा।

8. **ऋण की वसूली**

- ऋण की वसूली हेतु पोस्टडेटड चेक/ईसीएस मेनडेट या कोई अन्य विधि जो बैंक में प्रचलित हो, के माध्यम से की जायेगी।
- एफपीओ का टर्म लोन खाता होने की स्थिति में ऋण की वसूली समान मासिक किश्तों में की जायेगी।
- एफपीओ का वर्किंग कैपीटल ऋण खाता होने की स्थिति में एफपीओ द्वारा समस्त लेन देन इसी खाते के माध्यम से किये जायेंगे।
- किश्तें डिफाल्ट होने या चेक बाउंस होने पर एफपीओ को बैंक द्वारा 15 दिन के अन्दर किश्त जमा करने के सम्बन्ध में नोटिस देनी होगी। इस प्रकार कुल 15–15 दिन के अन्तराल पर तीन नोटिसें दी जायेंगी, उसके पश्चात् वसूली हेतु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की सुसंगत धाराओं एवं अन्य प्रचलित विधियों के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

9. **ऋण का मार्जिन**

टर्म लोन एवं वर्किंग कैपिटल लोन हेतु टर्नओवर का 20 प्रतिशत

10. **ब्याज की दर**

- योजनान्तर्गत ब्याज की दर 11 प्रतिशत वार्षिक होगी जो पुर्नभुगतान अवधि तक लागू रहेगी।
- ब्याज मासिक आधार पर प्रभारित (चार्ज) एवं यौगिक (कम्पाउण्ड) किया जायेगा।
- किश्तों/राशि का भुगतान समय पर न किये जाने पर कालातीत किश्त पर भुगतान तिथि तक दो प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज चार्ज किया जायेगा।

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

11. ऋण का अप्रेजलः–

- ऋण का तकनीकी एवं वित्तीय अप्रेजल सी0ए0 के माध्यम से कराया जायेगा।
- अचल सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में अधिवक्ता से भारमुक्त प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किया जायेगा।
- ऋण का अप्रेजल मुख्य प्रबन्धक या उनके द्वारा नामित अधिकारी (अप्रेजलकर्ता अधिकारी) द्वारा जहां पर एफपीओ स्थापित है, का भौतिक सत्यापन करते हुए ऋण का अप्रेजल, अप्रेजल फार्म एवं संलग्न क्रेडिट टूल रेटिंग के अनुसार किया जायेगा।

12. बीमा :–

बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत (आग, चोरी एवं प्राकृतिक आपदा सम्बन्धी) बीमा कराया जायेगा।

13. क्रेडिट स्कोर की जांच

यदि सिबिल स्कोर उपलब्ध होगा, तो देखा जायेगा जिसकी फीस एफपीओ से ली जायेगी किन्तु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं चीफ एक्सजीक्यूटिव आफिसर का सिबिल प्राप्त किया जायेगा, जिसकी फीस एफपीओ से ली जायेगी।

14. प्रोसेसिंग फीस

ऋण राशि का 0.35 प्रतिशत + जीएसटी

15. सरसई

सरसई पर प्राइमरी सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा जिस पर होने वाला व्यय (जीएसटी सहित) एफपीओ से चार्ज किया जायेगा।

16.सिक्योरिटीः–

- ऋण से जो उपकरण, मशीनें, स्टॉक आदि निर्मित होगा, उसे प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में हाइपोथिकेट किया जायेगा।
- टर्म लोन तभी स्वीकृत किया जायेगा जब एफपीओ की अपनी भूमि/भवन होगा या 30 वर्षीय लीज़ डीड होगी तथा भूमि/भवन कामर्शियल होना चाहिए। पुष्टि के लिए कामर्शियल बिजली का बिल आदि सम्बन्धित दस्तावेज लिये जायेंगे तथा भूमि एवं भवन की रजिस्ट्री कामर्शियल होनी चाहिए।
- भूमि/भवन के रेण्ट एग्रीमेण्ट होने पर वर्किंग कैपीटल लोन लिमिट स्वीकृत की जा सकती है। इस हेतु वास्तविक मालिक से किराये नामे का 12 वर्षीय रजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट होना चाहिए तथा वास्तविक मालिक से रजिस्ट्री की प्रति लेकर अधिवक्ता के माध्यम से इसकी पुष्टि करानी आवश्यक है कि मालिकाना हक उसी व्यक्ति का है जो व्यक्ति एफपीओ के साथ अनुबन्ध कर रहा है।
- वास्तविक मालिक से इस आशय का एक शपथ पत्र भी लिया जायेगा कि वह सम्बन्धित व्यवसाय के लिए अपनी भूमि को सम्बन्धित एफ़पीओ को व्यवसाय करने हेतु दे रहा है जिस पर उसे कोई आपत्ति नही है तथा 12 वर्ष से पूर्व या ऋण अदायगी से पूर्व वह उस जमीन को ऋणी से खाली नहीं करवायेगा।

U.P. Cooperative Bank Banking Section

- ऋण के माध्यम से जो भी सम्पत्ति निर्मित की जायेगी वो प्राथमिक प्रतिभूति (प्राइमरी सिक्योरिटी) के रूप में रखी जायेगी जिस पर होने वाला व्यय (जीएसटी सहित) एफपीओ द्वारा वहन किया जायेगा।

17. अधिवक्ता की फीस

अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों हेतु एफपीओ से अधिवक्ता द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस (जीएसटी सहित) ली जायेगी।

18. वैल्यूवेशन फीस

स्टॉक/परिसम्पत्तियों आदि का वैल्यूवेशन कराने के लिए वैल्येवूशन फीस (जीएसटी सहित) जो कि वैल्यूवर द्वारा ली जायेगी, उसे एफपीओ से लिया जायेगा।

19. नामिनल मेम्बरशिपः–

एफपीओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आथराईज्ड सिग्नेचरी एवं चीफ एक्सीक्यूटिव आफिसर को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य अवश्य बनाया जायेगा।

20. आडिट

बैंक किसी भी एफपीओ का निरीक्षण कर सकता है। एफपीओ को नियमानुसार आडिट भी कराना होगा, आडिटर की फीस का वहन एफपीओ द्वारा किया जायेगा।

21. अन्य अति महत्वपूर्ण बिन्दु

1. एफपीओ के पास इनकारपोशन लेटर होना चाहिए।
2. एफपीओ के पास पैन नम्बर, जीएसटीएन नम्बर अवश्य होना चाहिए।
3. एफपीओ Genuine होना चाहिए अर्थात् एफपीओ कम्पनी एक्ट या उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
4. एफपीओ द्वारा सभी रेग्यूलेटरी कम्पलाईन्सेस यथा–समय पर आडिट कराना, समय पर एफपीओ के बोर्ड की बैठक कराना, जीएसटी रिटर्न दाखिल करना, समय पर इनकम टैक्स रिटर्न आदि दाखिल होना चाहिए।
5. एफपीओ के पास यदि लेटर ऑफ कम्फर्ट है तो उसे लेना होगा।
6. एफपीओ बोर्ड के डायरेक्टर्स की नवीनतम लिस्ट होनी चाहिए तथा बैंक शाखा यह सुनिश्चित करेंगी कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्तमान में Exists करते हों।
7. एफपीओ गठित होने के 90 दिन के अन्दर एक CEO (Chief Executive officer) अवश्य रखना होगा जो वेतनभोगी होना चाहिए एवं जिसकी पूर्ण केवाईसी करायी जायेगी।
8. CEO (Chief Executive officer) कम्पनी एक्ट की धारा 58 डब्लू के अनुसार एफपीओ का मेम्बर या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए।
9. एफपीओ का कोई भी डायरेक्टर डिफाल्टर नहीं होना चाहिए और न ही एफपीओ डिफाल्टर होना चाहिए।
10. एफपीओ के डायरेक्टर्स का सिबिल स्कोर 550 से कम नहीं होना चाहिए।
11. ऋण स्वीकृत करते समय शेयर होल्डर्स की लिस्ट लेना आवश्यक है।
12. एफपीओ बोर्ड में डायरेक्टर्स एक दूसरे के ब्लड रिलेशन में नहीं होने या फैमिली मेम्बर नहीं होने चाहिए।

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section

13. एफपीओ बोर्ड के डायरेक्टर्स की संख्या कम्पनी एक्ट के अनुसार 05 से 15 हो सकती है तथा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 में 05 से 30 तक हो सकती है।
14. एफपीओ के बोर्ड की वर्ष में कम से कम प्रत्येक क्वार्टर में न्यूनतम 04 बैठकें होनी चाहिए।
15. एफपीओ द्वारा प्रतिवर्ष एजीएम (Annual General Meeting) अवश्य होनी चाहिए।
16. एफपीओ को बैंक की शाखा में अपना चालू खाता खुलवाना होगा समस्त लेनदेन इसी खाते के माध्यम से किये जायेंगे इस हेतु एफपीओ से लिखित अण्डरटेकिंग लेनी होगी।
17. कम्पनी एक्ट के अनुसार एफपीओ से एमजीटी फार्म–7 जो ऐनुवल रिटर्न के सम्बन्ध में है, लेना होगा।
18. एफपीओ के बाय लाज्ड, मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन आदि लिये जायेंगे।
19. एफपीओ के समस्त डायरेक्टर्स के केवाईसी से सम्बन्धित समस्त डॉक्यूमेण्ट लिये जायेंगे।
20. मुख्य प्रबन्धक द्वारा एफपीओ को ऋण स्वीकृत करने से पूर्व मंजूरी एवं ऋण वितरण पश्चात् निरीक्षण करना होगा तथा रिपोर्ट शाखा रिकार्ड पर रखी जानी चाहिए।
21. एफपीओ को किसी भी क्रेडिट सुविधा की मंजूरी से पहले मुख्य प्रबन्धक द्वारा परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता को सत्यापित किया जाना चाहिए तथा डीपीआर ली जायेगी।
22. एफपीओ जो पहले से चल रहे हैं उनके पूर्व 03 वर्षों की बैलेन्सशीट तथा आगामी 05 वर्षों की प्रोजेक्टेड बैलेन्सशीट लेनी होगी, इसी प्रकार नये एफपीओ हेतु आगामी 05 वर्षों के लिए डीपीआर एवं प्रोजेक्टेड बैलेन्सशीट लेनी होगी।
23. नये एफपीओ हेतु 01 वर्ष के उपरान्त उसे बैलेन्सशीट शाखा में उपलब्ध करानी होगी।
24. चालू खाते के संचालन के सम्बन्ध में एफपीओ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सम्बन्ध में बोर्ड एप्रूव्ड दस्तावेज लिये जायेंगे।
25. एफपीओ के रजिस्ट्रेशन के तीन माह उपरान्त एवं एफपीओ के शाखा में खुले खाते के 06 माह के सफल संचालन के पश्चात् ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
26. एफपीओ से सम्बन्धित ऋण मुख्यालय स्तर पर गठित लोन फैक्टरी में नहीं आयेंगे क्योंकि इसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है।
27. एफपीओ का खाता खुलवाने, खाते का संचालन करने, ऋण लेने आदि के सम्बन्ध में एफपीओ बोर्ड का Resolution अवश्य लिया जायेगा।
28. एफपीओ को ऋण स्वीकृत करते समय एफपीओ से इस आशय की अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि बैंक द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पूर्णतया पालन करेगा एवं ऋण की किस्तें डिफाल्ट नहीं करेगा । यदि एफपीओ ऋण की शर्तों एवं किश्तों

U.P. Cooperative Bank Banking Section

को डिफाल्ट करता है तो बैंक नियमानुसार विधिक कार्यवाही एफपीओ के विरूद्ध करेगा।

29. एफपीओ को ऋण स्वीकृत शाखा स्तर पर गठित लोन कमेटी द्वारा किये जायेंगे।
30. एफपीओ जिस भूमि/भवन पर कार्य करेगा वह विधि अनुसार तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य नियामक संस्थाओं अनुमन्य हो।
31. एफपीओ कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा जो नैब संरक्षण द्वारा अनुमन्य न हो, जो भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा प्रतिबन्धित हो।
32. शाखा द्वारा एफपीओ ऋण का प्रत्येक तीसरे वर्ष ऋण का रिवैलिडेशन कराया जायेगा।
33. शाखा द्वारा सम्पूर्ण शपथ पत्र 100.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर लिये जायेंगे।
34. मुख्य प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी प्रत्येक तिमाह एफपीओ का निरीक्षण करेगा एवं उसके स्टॉक को वेरीफाई करेगा।
35. यदि योजना के क्लॉजेज को लागू करने के सम्बन्ध में या उसके इन्टरप्रिटेशन के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो ऐसे मामले उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत आर्बीट्रेशन हेतु भेजे जायेंगे।
36. एफपीओ को इस आशय की अण्डरटेकिंग लिखित रूप से देनी होगी कि वह बैंक द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को स्वीकार करेगा और किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधि में या अन्य कोई ऐसी गतिविधि जो भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य कोई नियामक संस्थाओं द्वारा प्रतिबन्धित की गयीं हो, में शामिल नहीं होगा।
37. एफपीओ को बैंक के साथ अनुबन्ध करना होगा कि वह अनुबंध में दी गयी शर्तो का उल्लंघन नहीं करेगा, यदि वह ऐसा करता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह एफपीओ को दिये गये ऋण का बर्खास्त कर देगा एवं एफपीओ को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करना होगा।
38. एफपीओ जहां पर अपना व्यवसाय करेगा वहां की भूमि एवं भवन के स्वामित्व का सबूत देना होगा। बैंक ऐसी किसी भी एफपीओ को ऋण नहीं देगा जहां की भूमि एवं भवन पर उसका स्वामित्व नहीं होगा।
39. एफपीओ जहां पर अपना व्यवसाय करेगा वहां की भूमि एवं भवन के स्वामित्व का सबूत देना होगा। बैंक ऐसी किसी भी एफपीओ को ऋण नहीं देगा जहां की भूमि एवं भवन पर उसका स्वामित्व नहीं होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों तथा बैंक मुख्यालय के पत्रांक–बैंकिंग/एफ–299/2023–24/399, दिनांक–05.12.2023 के माध्यम से निर्गत एफपीओ पालिसी में दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों तथा परिपत्र के साथ संलग्न नैब संरक्षण द्वारा जारी गाईड लाईन्स का भलीभांति अध्ययन कर एफपीओ ऋण योजना के अन्तर्गत पात्र एफपीओ को समस्त अभिलेखों/औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नियमानुसार ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः ऋण आवेदन फार्म
एफपीओ लेण्डएबिलिटी एसेसमेण्ट टूल
अप्रेजल फार्म

22.2.24

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

Cooperative Bank Banking Section

D:\New folder (4)\FPO circular.doc

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर मै0 मेगासॉफ्ट प्रा0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि एफपीओ फाइनेन्श हेतु नया जीएल कोड बनाना सुनिश्चित करें।
4. महाप्रबन्धक (आईटी सेल), उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय को बैंक की वेब साईट पर एफपीओ परिपत्र को अपलोड कराने एवं एफपीओ ऋण के सम्बन्ध में नया जीएल कोड बनाना सुनिश्चित करें एवं एफपीओ ऋण को लोन रिपोर्ट में भी सम्मिलित करें।
5. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
10. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 मुख्यालय, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

22.2.2m

प्रबन्ध निदेशक

U.P. Cooperative Bank Banking Section Lucknow

एफपीओ ऋण का अप्रेजल

1	एफपीओ का नाम. एवं पता	
2	एफपीओ का मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी	
3	एफपीओ के गठन की तिथि	
4	एफपीओ के अध्यक्ष, सेकेटरी एवं दूसरे बोर्ड मेम्बरों का नाम	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5	एफपीओ का पैन नम्बर एवं जीएसटीएन नम्बर	
6	एफपीओ के रजिस्ट्रेशन की तिथि एवं नम्बर	
7	एफपीओ के रजिस्ट्रेशन की तिथि से एफपीओ कितने माह अथवा वर्ष पुराना है।	
8	एफपीओ कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड अथवा सोसायटी एक्ट में	
9	अप्रेजल की तिथि	
10	अप्रेजलकर्ता का नाम	
11	एफपीओ की बैक शाखा से दूरी	
12	एफपीओ का बोर्ड गठित है अथवा नहीं	

13	एफपीओ बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
14	एफपीओ बोर्ड सदस्य ब्लड रिलेशन में अथवा रिश्तेदार तो नहीं हैं	
15	एफपीओ बोर्ड गठन की तिथि	
16	एफपीओ की सदस्य संख्या	
17	एफपीओ द्वारा किये जाने व्यवसाय का नाम	
18	एफपीओ द्वारा नैब संरक्षण की गारण्टी ली जायेगी अथवा नहीं	
19	नैब सरंक्षण गारण्टी फीस (जीएसटी सहित) एफपीओ देने के सहमत है अथवा असहमत	
20	एफपीओ सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा प्रतिबन्धित व्यवसाय तो नही कर रहा है	
21	एफपीओ द्वारा नियामक संस्थाओं से एनओसी प्राप्त कर ली गयी है तो उन संस्थाओं का नाम	
22	बैंक में एफपीओ ने अपना चालू/सीसी खाता खुलवाया है या नहीं	
23	यदि खाता खुला है तो कितने माह का संचालन उस खाते में हुआ है।	
24	क्या खाते का संचालन संतोषप्रद है	
25	एफपीओ के सीईओ का नाम	
26	एफपीओ का सीईओ वेतनभोगी है अथवा नहीं	
27	सीईओ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ब्लड रिलेशन अथवा रिश्तेदारी	

operative Bank
Banking Section

	न हो	
28	एफपीओ की सदस्य संख्या	
29	एफपीओ के एजीएम की पिछली बैठक का दिनांक	
30	एफपीओ के सभी बोर्ड मेम्बर्स वही हैं, जिनका नाम बोर्ड के लिए चयनित हुए हैं	
31	एफपीओ के शेयरमनी	
32	प्रतिमेम्बर शेयर मनी की धनराशि	
33	एफपीओ द्वारा ऋण हेतु आवेदित धनराशि	
34	आवेदित धनराशि का प्रकार (टर्म लोन) (वर्किंग कैपीटल)	 रू0...................................लाख रू0.................................लाख
35	स्वीकृति योग्य धनराशि (टर्म लोन) (वर्किंग कैपीटल)	 रू0...................................लाख रू0.................................लाख
36	एफपीओ द्वारा आगामी 05 वर्षों हेतु डी.पी.आर. दी गयी है अथवा नहीं	
37	एफपीओ द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्ष की बैलेन्सशीट दी गयी है अथवा नहीं	
38	बैलेन्सशीट के आधार पर एफपीओ पिछले 03 वर्षों में लाभ पर है अथवा हानि पर	
39	एफपीओ के नेटवर्थ धनात्मक है अथवा ऋणात्मक (नेटवर्थ ऋणात्मक होने पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।)	
40	एफपीओ द्वारा स्वयं. उपलब्ध कराया जाने वाला मार्जिन	

U.P. Cooperative Bank Banking Section

41	सी0 के0 माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ऋण स्वीकृति योग्य धनराशि टर्म लोन वर्किंग कैपीटल लोन	रू0..................................लाख रू0..................................लाख
42	लेण्डएबिलिटी एससमेण्ट टूल के आधार पर एफपीओ द्वारा अर्जित स्कोर 65 प्रतिशत या उससे अधिक है अथवा नहीं	
43	अर्जित स्कोर के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं	
44	क्या एफपीओ द्वारा किसी अन्य संस्थान से ऋण लिया गया है, यदि लिया गया है तो उस ऋण मे डिफाल्ट तो नहीं है	
45	एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिबिल स्कोर लिया गया है अथवा नहीं	
46	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का एफपीओ का टर्नओवर	

मेरे द्वारा (नाम...) पदनाम..एफपीओ जिसका नाम...है, से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का सत्यापन कर लिया गया हैतथा उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर उल्लिखित सूचनायें सही हैं। अतः मैं (...) एफपीओ को रू0 ....(शब्दों में...मात्र) का ऋण स्वीकृत करने की संस्तुति करता हूं।

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section

अप्रेजलकर्ता अधिकारी का नाम..

पदनाम...

अप्रेजल का दिनांक..

शाखा का नाम..

U P Cooperative Bank Ltd.

FPO - LOAN APPLICATION FORM

Name of Applicant	
Legal constitution [FPC, FPO, any other]	
Name of CEO/Manager and date of appointment	
Complete address of Office of FPO including email id, if any.	
Contact details of FPO, Mobile number of Chairman/Secretary/other member	
Registration Number.	
Date of registration/incorporation of FPO	
PAN Number	
GST Number	
Name of the Promoter, Promoting Organization	
Any past relationship with UPCB., or of the group company? If yes, Pls specify.	
Year of Incorporation / Year of Inception of Operations	

FINANCIAL DATA

	Data As on		
Turnover of last 3 financial years	Financial Year	Turnover (Rs.lakh)	Name of products
Gross profit/[loss] and net profit/[loss] of last 3 financials years	*Financials Year*	*Gross Profit (Rs.lakh)*	*Net Profit (Rs.lakh)*

Cooperative Bank Banking

Share capital and reserves of last 3 financials years	Year Ended	Share capital (Rs. lakhs)	Reserve (Rs. Lakh)	No of share holders

Number of Shareholder Members	
Number of Directors with their briefs	
Mode of Board formation (election/ nomination)-	
Date(s) of Board/Governing Body Meetings held in the last year	

Present & Past Credit History	*Name of lender*	Loan amount (Rs. Lakh)	Current outstanding (Rs.lakh)	Loan close date

OPERATIOPERATIONAL DATA

No. of Registered farmer Members [In case of FPO, Cooperatives]	Men	Women	Total

Number of Small, Marginal and Landless Shareholder Members	Small	Marginal	Landless

Area of operation	District	State

Name of top 5 the products FPO/FPC dealing in	

List the name of licenses available with the FPO/FPC to carry out business activities	Sr No	License
	1	
	2	
	3	

Plant & Machinery, Warehouse, Godown, other physical fixed assets	Type of Infrastructure	Own/Rented

U.P. Cooperative Bank Ltd.
Banking Section
Lucknow

PROPOSAL		
Loan amount Required	*Particulars*	*Loan Amount required (Rs.*
		Lakh)
	Working capital loan	
	Term loan	
	Other	
Enclosure [Yes/No]	1. Audited financials for last 3 years	
	2. Latest Provisional Financials	
	3. Company profile	
	4. Copy of registration certificate	

Chairman/Chief Executive Officer/Manager or Authorized Board of Director

Date -

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

Annexure-1

U.P. CO-OPERATIVE BANK LTD.

FPO Lendability Assessment Tool

The assessment tool for FPOs can be grouped under four broad parameters.

1. Governance and Management
2. Business & Operations
3. Processes &Systems
4. Financial Performance

Across the four parameters, there are a total of 22 questions and each question can be scored between 1 and 4 (4 being the highest and I being the lowest score) depending on observation of the status on that variable in the FPO, Each of the four parameters have different weights assigned out of a total possible 100% A score of 65% and above can be considered a good score as per the weights given below (it may vary little if weights are changed), The weights are for indicative purpose and can be modified based on internal requirement.

Rating summary	Factors	Weightages (out of 100%)	MAX	Score obtained	Score(%)
Governance & Management	8	30	120		
Business & Operations	3	20	80		
Processes and Systems	7	30	120		
Financial Performance	4	20	80		
Total	22	100	400		

Due diligence item	Due diligence response				FPO Score
	1	2	3	4	
Management & Governance					
Number of Board Members	2	3-5	6-8	>8	
Quality of Board	No relevant experience of the Members of the Board	1-3 years of experience in farming	3-5 years of experience in farming, but different commodity	>5 years of experience for majority of the board in farming especially in the same commodity	
Minutes & Records	Not Maintained	Sketchy	Detailed with Decision taken are recorded, but not reported on MCA	Detailed with Decision taken are recorded, with proper compliance	
Quality experience and track record of CEO	CEO with no previous experience/ relevant Education	CEO with <3 years of previous non-relevant experience, but has relevant educational qualification	CEO with <5 years of relevant experience and educational qualification	CEO with 5+ years of relevant experience and educational qualification	
Second line of management	No second line Only CEO	No second line-CEO accompanied	CEO accompanied by accounts team	second line of management is well defined and can take the leadership role	

U.P. Cooperative Bank Ltd.
Banking Section
Lucknow

Due diligence item	Due diligence response				FPO Score
	1	2	3	4	
		by accounts team	and at least one divisional Manager (e.g. Marketing, Sales, Procurement)		
No. of Members	Less than 300	300-500	500-1000	>1000	
Participation of Members (transacting members)	<30%	30-50%	50-75%	>75%	
Role of Promoting Agency	No Promoting agency,	Promoted by an agency but the agency doesn't play any role	Promoted by an agency but the agency plays an active role in finance operations and governance	Promoted by an agency, but the FPO is self-sufficient. Agency works on paid basis.	
Business & Operations					
Type of FPO	Dealing in inputs	Dealing in market linkage the output	Dealing in inputs and market linkage of the output	Dealing in inputs and/or market linkage of the output with primary/ secondary processing/ value addition	
Price Risk of the commodities (Not applicable to FPOs involved only in Lending/Supplying inputs only)	FPO dealing in highly price sensitive/volatile commodities (oilseeds, gram etc.) and Price Risk borne by the FPO	Commodities with MSP, but price risk on FPO	Part of the commodities hedged against price risk and/or Non-volatile commodities	Price risk covered through well-defined hedging through NCDEX or other mediums or Not Applicable-FPO only in lending/ supplying Inputs)	
Other Lenders	No external lender	External lender but not institutional lender	Atleast one institutional lender	At least one institutional lender with repeat lending	
Accounts & MIS	No MIS, Accounting done manually	Accounting managed by using basic MS Office tools but not software packages	Accounting managed by Tally, no digitization of the other operational records	Software for managing accounts and digitization of the MIS	
Insurance stock against fire and theft	No insurance cover	1. Less than 50% of stock is insured against fire and theft or 2. Insurance cover is either for fire or theft	50% or more of stock is insured against fire and theft	100% stock is insured against fire and theft	

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

Due diligence item	Due diligence response				FPO Score
	1	2	3	4	
Credit Record of FPO	Current and past record of delays/No credit History	Current and past record of delays.	Past record of delays or defaults.	No record of delays or defaults.	
Statutory Filings	Any delays in the past 12 months that are not yet filed	Multiple Delays (>5) over the past 12 months but filed as on date	Few Delays (<5) over the past 12 months but filed as on date	No delays	
Reconciliation of Stocks	Absent/Annual	2-4 times in a year	monthly	Regular	
Cash Dealing as % of gross revenues	>70%	50-70%	20-50%	<20%	
Financial Performance					
Scale & Profitability					
Total Revenue	<10 Lacs	10-50 Lacs	50-100 Lacs	>100 Lacs	
Gross Profit Margin	<0%	0%-5%	5%-10%	>10%	
Trends in profitability	Loss Making	Profitable in the last year	Profitable in the last two years	Profitable for more than 2 years	
Capital Structure					
Debt to Net worth after proposed loan	>10x	6-10x	3-6x	0-3x	

U.P. Cooperati
Banking Section
Lucknow